भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2 खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

नई दिल्ली, तारीख 29 मार्च, 2019

आदेश

का.आ. 1488(अ):–राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा कोरोनरी स्टेंट्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण के संबंध में जारी अधिसूचनाओं का.आ. 639(अ) दिनांक 12.02.2018 और 1464(अ) दिनांक 02.04.2018 जारी में उस सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2017 की अपेक्षा वर्ष 2018 के लिए 4.2662 प्रतिशत की दर से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर विचार करने के बाद एतद्द्वारा कोरोनरी स्टेंट्स के वर्णित अधिकतम मूल्यों, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर, इस सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत, स्तंभ (3) में वर्णित इकाई के मद्देनजर दिनांक 01.04.2019 से निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:

सारणी

क.सं.	(कोरोनरी स्टेंट्स) (डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची–I में क.सं. 31)	इकाई (संख्या में)	अधिकतम मूल्य (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सादे धातु स्टेंट	1	8,261
2	औषध क्षालन स्टेंट (डीईएस) जिसमें धात्विक डीईएस और जैव अवशोष्य वाहिका ढांचा (बीवीएस)/जैव अवक्रमणीय स्टेंट सम्मिलित हैं।	1	30,080

नोटः-

(क) सभी मौजूदा निर्माताओं/आयातकों को कोरोनरी स्टेंट के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है) से कम है, जहां कही भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 16(2) के अनुसार वर्ष 2018 के लिए 4.2662 प्रतिशत की दर से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर अपनी कोरोनरी स्टेंट का मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को संशोधित कर सकते हैं

(ख) अगर निर्माताओं/आयातकों ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते है।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24(4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।

(घ) विनिर्माता/आयातक या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।

कां.सं./197/65/2019/एफ फा. सं0 8(65)/2019/डीपी/एनपीपीए.–डिवी-II

(आलोक रंजन)
सहायक निदेशक

(To be published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary)

Government of India
Ministry of Chemicals and Fertilizers
Department of Pharmaceuticals
National Pharmaceutical Pricing Authority

New Delhi, the 29th March, 2019

ORDER

S. O. 1488(E):- In continuation of the notifications issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilizers vide S.O. 639(E) dated 12.02.2018 and S.O. 1464(E) dated 02.04.2018, regarding the fixation of ceiling price of the Coronary Stents as specified in column no. (2) mentioned in the table below; after considering the Wholesale Price Index (WPI) @ 4.2662 percent for the year 2018 over 2017, it has been decided to revise the ceiling prices of Coronary Stents as mentioned in column no. (4) in the table below, exclusive of Goods and Services Tax as applicable, and unit specified in column (3) with effect from 01.04.2019, as under:

TABLE

Sl No	Coronary Stents (Sl No. 31 in Schedule-I of the DPCO, 2013)	Unit (in Number)	Ceiling Price (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bare Metal Stents	1	8,261
2	Drug Eluting Stents (DES) including metallic DES and Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS)/ Biodegradable Stents	1	30,080

Notes:-

(a) All the existing manufacturers/importers of Coronary Stents having MRP lower than the ceiling price specified in column (4) in the above table (plus Goods and Services Taxes as applicable, if any), may revise the existing MRP of Coronary Stent, on the basis of WPI @ 4.2662% for year 2018 in accordance with Paragraph 16(2) of DPCO, 2013, read with Para 13(2) of DPCO, 2013.

(b) The manufacturers/importers of Coronary Stents may add Goods and Services Taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (4) of the aforesaid table.

(c) As per Para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer/importers, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(d) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

PN/197/65/2019/F F. No. 8(65)/2019/D.P./NPPA-Div.-II

(ALOK RANJAN)
Assistant Director